राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.–3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 17/02/2026 को संपन्न 750वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

––––00––––

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.–3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 17/02/2026 को श्री जयसिंह म्हस्के, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री समीर स्वरूप, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री राजु अगासीमनी, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त परिवेश 1.0 के प्रकरण में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स मीता बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.– श्रीमती मीता बाफना), ग्राम–कोटेला, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2630)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/440321/2023, दिनांक 14/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोटेला, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 38, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–39,735 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान हैः–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 492वीं बैठक दिनांक 13/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यश बाफना, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 38, कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर, क्षमता–39,735 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 26/12/2016 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2068/खनिज/ख.लि./उ.प./2002 कांकेर, दिनांक 11/10/2023 द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	6,181
2019–20	2,655
2020–21	11,837
2021–22	15,642
2022–23	12,325

समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत कोटेला का दिनांक 23/09/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 301/खनिज/2016 दंतेवाड़ा, दिनांक 13/07/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 931/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 933/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। ग्रामीण मार्ग लगभग 50 मीटर की दूरी पर है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती मीता बाफना के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षो अर्थात दिनांक 08/10/2002 से 07/10/2032 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1625 कांकेर, दिनांक 26/08/2002 से जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोटेला 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–कोटेला 1 कि.मी. एवं अस्पताल लखनपुरी 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.4 कि.मी. दूर है। महानदी 2.5 कि.मी. दूर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,63,013 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,29,708 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,014 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 1,173 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	34,357	षष्ठम	31,132
द्वितीय	34,357	सप्तम	31,132
तृतीय	34,357	अष्टम	31,132
चतुर्थ	31,132	नवम	31,132
पंचम	31,132	दशम	39,735

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,170 नग (जामुन, नीम, पीपल, कदम, शीशु, अमलतास) वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,170 नग पौधों के लिए राशि 81,900 रूपये, खाद के लिए राशि 11,700 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,76,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 6,25,600 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,61,440 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 4,014 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,907 वर्गमीटर क्षेत्र 12 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years startlng from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as

per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.8	Following activities at Near by Govt. Primary School, **Village-Kotela**	
			Plantation	1.346
			Total	**1.346**

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, कदम, पीपल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मटेरियल की कुल मात्रा 16,485.4 टन में से आवश्यकता अनुसार रास्ते में मरम्मत किया जायेगा एवं अतिरिक्त यदि बचे तो खनिज विभाग के सहमति से विक्रय किया जायेगा।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा एवं इसके संरक्षण हेतु सोकपिट का निर्माण किया गया है।

20. खदान में कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन की कॉपी सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

4. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में

तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/07/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यश बाफना, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 2385/खनि–1/उ.प./न.क्र./2023 उ.ब. कांकेर, दिनांक 15/12/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2015–16	निरंक
2016–17	2,600
2017–18	2,383

समिति का मत है कि विगत वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. 2024/763 कांकेर, दिनांक 02/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की आकाशीय दूरी 400 मीटर है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वाइयरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 390/ख.लि.3/स्था/2024 धमतरी, दिनांक 12/07/2024 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 10,45,896.8 टन, माईनेबल रिजर्व 3,58,090.85 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,40,186.30 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,725 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9.33 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 2,500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)
प्रथम	39,702
द्वितीय	39,702
तृतीय	39,702
चतुर्थ	39,702
पंचम	39,702

6. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित नहीं होने का उल्लेख है। जबकि के.एम.एल. का अवलोकन करने पर स्पष्ट रूप से 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन एवं उसके बाहर उत्खनन कार्य किया जाना पाया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

4. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।

5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी एवं लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किया गया किये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

7. प्रस्तुत के.एम.एल. अनुंसार 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया जाना पाया गया है। अतः इस संबंध में क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया गया है एवं अथवा नहीं? यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया है, के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण एवं जानकारी मांगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को उक्त के संबंध में सूचित किया जाए।

8. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।

9. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/05/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2026 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 750वीं बैठक दिनांक 17/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 329/खलि–1/न.क्र./उ.प./2002 उ.ब. कांकेर, दिनांक 09/02/2026 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2023–24	12,400
2024–25	12,430
2025–26 (दिसम्बर 2025 तक)	9,400

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./5776 कांकेर, दिनांक 03/10/2025 से जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके

अनुसार माईन लीज क्षेत्र से निकटतम वनक्षेत्र ओ.ए. 1457 की दूरी 1 कि.मी., सीता नदी अभ्यारण्य 100 कि.मी. एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 91 कि.मी. की दूरी पर है।

3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 5,123 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया गया है, जिसका क्षेत्र 2,770 वर्गमीटर है। क्रशर क्षेत्र में 1,385 घनमीटर ऊपरी मिट्टी है। 7.5 मीटर का सेफ्टी क्षेत्र 2,225 वर्गमीटर है एवं 7.5 मीटर का सेफ्टी क्षेत्र में 1,112.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी है, शेष 2,628.5 घनमीटर को ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के सीमा पट्टी के 2,225 वर्गमीटर में 1.2 मीटर की मोटाई में फैलाकर वृक्षारोपण किया गया है।

4. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है:–

लम्बाई	आधार की चौड़ाई + सरफेस चौड़ाई / 2 = औसत चौड़ाई	गहराई	मात्रा घन मीटर में	मात्रा घन मीटर / 3 = परिवहन हेतु ट्रैक्टर की ट्रीप	300 X ट्रैक्टर ट्रीप की संख्या = कुल खर्च
207	9.0 + 7.5/2 = 8.25	3.0	5,123	1,707.6	5,12,280
कुल			**5,123**	**1,707.6**	रूपए – 5,12,280

लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के पुनःभराव हेतु कुल 5,123 घनमीटर मटेरियल की आवश्यकता होगी, जिसमें से 310 घनमीटर मटेरियल 0.5 मीटर के साइज का स्लोप को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यकता होगी।

5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र क्रमांक 437 / एस.ई.ए.सी. –3 छ.ग. / कांकेर / 2630 दिनांक 20 / 05 / 2025 के माध्यम से पत्र लिखा गया है।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी एवं लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किया गया किये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र क्रमांक 439 / एस.ई.ए.सी.–3 छ.ग. / कांकेर / 2630 दिनांक 20 / 05 / 2025 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया गया है एवं अथवा नहीं? यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया है, के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण एवं जानकारी मांगाये जाने हेतु पत्र क्रमांक 439 / एस.ई.ए.सी. –3 छ.ग. / कांकेर / 2630 दिनांक 20 / 05 / 2025 के माध्यम से संचालक,

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लिखा गया है तथा परियोजना प्रस्तावक को उक्त के संबंध में पत्र क्रमांक 441A/एस.ई.ए.सी.–3 छ.ग./कांकेर/2630 दिनांक 20/05/2025 के माध्यम से सूचित किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया है।

9. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के पत्र क्रमांक 1767, दिनांक 17/03/2021 द्वारा माईनिंग एवं क्रशिंग ऑफ स्टोन, स्टोन चिप्स (गिट्टी), क्षमता – 39,735 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 06/03/2026 तक है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी उत्खनन पाया गया है, जिसके संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल तथा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा जो भी निर्णय लेगी, मुझे मान्य होगा।

11. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

12. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 931/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कोटेला) का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कोटेला) को मिलाकर क्षेत्रफल 3.97 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने तथा खदान का उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व निष्पादित होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डिस्ट्रीक सर्वे रिपोर्ट (DSR), 2025 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पत्र क्रमांक 2646/खनि. 02/पर्या.स.–II/न.क्र. 08/2016 नवा रायपुर दिनांक 13/11/2025 के माध्यम से निम्नानुसार लेख किया गया है:–

"उल्लेखनीय होगा कि रि–अप्रेजल के अधिकतर प्रकरण में उत्खनिपट्टा तात्कालिन छ.ग. गौण खनिज नियम 1936 के तहत स्वीकृत किये गये है जिसमें उत्खनन योजना एवं खदान क्षेत्र के भीतर 7.5 मीटर की शेफ्टी जोन छाड़े जाने का प्रावधान नहीं था जिसके फलस्वरुप पट्टेदारों के द्वारा खदान क्षेत्र की सीमा तक खनन कार्य किया गया है। उक्त सभी खदानों का छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–38(क) के तहत मूल उत्खनिपट्टा अवधि से 30 वर्ष हेतु अवधि विस्तार किये गये है, जो कि वर्तमान में भी संचालित है।

गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधनों के उपरांत उत्खनिपट्टों हेतु उत्खनन योजना तैयार किया गया तथा उसके पश्चात् स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में 7.5 मीटर सेफ्टी जोन छोड़ने के प्रावधान किये गये हैं। अतः 2015 के पूर्व स्वीकृत खदानों में उक्त नियम के बंधनकारी नहीं होने के फलस्वरुप उक्त प्रकरणों में उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। गौण खनिज नियम, 2015 के तहत स्वीकृत – उत्खनिपट्टों में खदान क्षेत्र की सीमा से 7.5 मीटर के भीतर खनन पाये जाने पर ऐसे प्रकरणों में अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर जिला अधिकारियों के द्वारा नियमनानुसार कार्यवाही की जा रही है।

स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर पुराने उत्खनन के गढ्ढे अथवा तालाब होने की स्थिति में समिति द्वारा इन्हे आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना मानकर प्रकरण परीक्षण हेतु लिजा कार्यालय को प्रषित किया जा रहा है। तत्संबंध में लेख है कि प्रायः गौण खनिज उत्खनन पट्टा पूर्व स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास ही स्वीकृत किया जाता है जिससे आवेदित क्षेत्र के आसपास पुराने स्वीकृत खदानों से निर्मित गढढे का होना स्वाभाविक है। पुराने उत्खनन से निर्मित गढढों को वर्तमान पट्टाधारी आवेदकों द्वारा किया गया अवैध उत्खनन माना जाना उचित नहीं है। लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन के प्रकरणों में विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाती है। तथापि प्रत्येक 6 माह में खनि निरीक्षक द्वारा भी कर निर्धारण के समय मौका जांच पर पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–71 के हत कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रकिया है जिस पर खनिज विभाग द्वारा गंभीरता से लगातार कार्यवाही की जाती है।

उक्त कारणों से रि–अप्रेजल के प्रकरण विगत 02 वर्षों से अधिक समय से लंबित होने के कारण प्रदेश में अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक गौण खनिजों की आपुर्ति प्रभावित हो रही है वही राज्य को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस प्रकार के लंबित रि–अप्रेजल प्रकरण/पर्यावरण सम्मति हेतु प्रस्तुत नवीन प्रकरणों में पर्यावरण के बिंदुओं पर कम्प्लायंस कराते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु उचित निर्णय लिया जावे।"

उक्त खदान का उत्खनिपट्टा दिनांक 08/10/2002 से 07/10/2032 तक हेतु निष्पादित किया गया है। अतः उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व का है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी उत्खनन पाया गया है, जिसके संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल तथा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा जो भी निर्णय लेगी, मुझे मान्य होगा।

4. मेसर्स मीता बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.– श्रीमती मीता बाफना) को ग्राम–कोटेला, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के खसरा क्रमांक 38 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता – 39,702 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स यश बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.–श्री यश बाफना), ग्राम–खैरखेड़ा, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2631)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 440331/2023, दिनांक 14/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खैरखेड़ा, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 362, कुल क्षेत्रफल–2.10 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–41,729 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 492वीं बैठक दिनांक 13/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यश बाफना, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 362, कुल क्षेत्रफल 2.1 हेक्टेयर, क्षमता–41,729 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 26/12/2016 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं

पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2070/खनिज/ख.लि./उ.प./1997 कांकेर, दिनांक 11/10/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	2,981
2019–20	1,080
2020–21	6,507
2021–22	16,508
2022–23	15,697

समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, के ज्ञापन क्रमांक 300/खनिज/2016 दंतेवाड़ा, दिनांक 13/07/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 935/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 937/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 130 मीटर की दूरी पर तथा डबरी लगभग 70 मीटर की दूरी पर है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री यश बाफना के नाम पर है, लीज डीड 25 वर्षों अर्थात दिनांक 01/04/1997 से 13/03/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 5 वर्षों अर्थात दिनांक 14/03/2022 से 31/03/2027 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./स्टेनो/सामा./985 कांकेर, दिनांक 31/03/1997 से जारी पत्र अनुसार "लीज क्षेत्र से लगे हुये क्षेत्र में पूर्व में लगभग

3 या 4 वर्ष पूर्व उद्यानिकी विभाग द्वारा काजू रोपण कराया गया था। अतः काजू रोपण से संबंधित पूर्ण विवरण, संबंधित विभाग से प्राप्त करना उचित होगा एवं इस संयत्र से उड़ रही धुल से समीपस्थ कृषि भूमि एवं आस–पास निवास कर रहे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, इस संबंध में संबंधित राजस्व अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर एवं जिला स्तर पर गठित पर्यावरण दल से विचार विमर्श किया जाकर 5 वर्ष हेतु नवीनीकरण के संबंध में निर्णया लिया जाना उचित होगा'' का उल्लेख है। समिति का मत है कि निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–झीपाटोला 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–लखनपुरी 5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–लखनपुरी 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 161 मीटर दूर है। महानदी 4.3 कि.मी. दूर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,66,332 टन, माईनेबल रिजर्व 4,86,080 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,497 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 836 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	33,997	षष्ठम	41,729
द्वितीय	33,997	सप्तम	41,729
तृतीय	33,997	अष्टम	41,729
चतुर्थ	30,411	नवम	41,729
पंचम	41,729	दशम	41,729

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,050 नग (अर्जुन, जामुन, नीम, पीपल, कदम, शीशु, अमलतास) वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,050 नग पौधों के लिए राशि 73,500 रूपये, खाद के लिए राशि 10,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,40,250 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,000

रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,80,250 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,57,600 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,497 वर्गमीटर है, जिसमें से 2434 वर्गमीटर क्षेत्र 25 मीटर की गहराई तक एवं 2,063 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years startlng from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42.5	2%	0.85	Following activities at Near by Govt. Primary School, **Village-khairkheda**	
			Plantation	1.346
			Total	**1.346**

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, कदम, पीपल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का

मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मटेरियल की कुल मात्रा 16,485.4 टन में से आवश्यकता अनुसार रास्ते में मरम्मत किया जायेगा एवं अतिरिक्त यदि बचे तो खनिज विभाग के सहमति से विक्रय किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा एवं इसके संरक्षण हेतु सोकपिट का निर्माण किया गया है।

19. खदान में कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन की कॉपी सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/07/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यश बाफना, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 2386/खलि–1/उ.प./न.क्र./2023 उ.ब. कांकेर, दिनांक 15/12/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2015–16	22,400
2016–17	3,000
2017–18	1,500

समिति का मत है कि विगत वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. 2024/762 कांकेर, दिनांक 02/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की आकाशीय दूरी 500 मीटर है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वाइयरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 391/ख.लि.3/स्था/2024 धमतरी, दिनांक 12/07/2024 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 11,55,690 टन, माईनेबल रिजर्व 4,61,082.39 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,38,028.27 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,727 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11.33 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 836 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)
प्रथम	41,691
द्वितीय	41,691
तृतीय	41,691
चतुर्थ	41,691
पंचम	39,608.4

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत खैरक्षेड़ा द्वारा दिनांक 27/01/1997 को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) को प्रेषित अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पत्थर उत्खनन 10 वर्ष तक के लिए ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

7. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन एवं लीज क्षेत्र के बाहर कोई उत्खनन कार्य नहीं किया जाना बताया गया है, इस संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण, दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।

4. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।

6. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी एवं लीज क्षेत्र के बाहर कोई उत्खनन किया गया है अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से निरिक्षण प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/05/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2026 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 750वीं बैठक दिनांक 17/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 327/खलि–1/न.क्र./उ.प./2002 कांकेर, दिनांक 09/02/2026 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2023–24	12,100
2024–25	13,900
2025–26	3,900

(दिसम्बर 2025 तक)	

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./5782 कांकेर, दिनांक 21/10/2025 से जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार माईन लीज क्षेत्र से निकटतम वनक्षेत्र ओ.ए. 1457 से 1 कि.मी., सीता नदी अभ्यारण्य 106.70 कि.मी. एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 218 कि.मी. की दूरी पर है।

3. ग्राम पंचायत खैरखेड़ा का 26/01/1997 का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 7,587.5 घनमीटर है। 7.5 मीटर का सेफ्टी जोन का क्षेत्रफल 4,727 वर्गमीटर है एवं 7.5 मीटर का सेफ्टी क्षेत्र में 2,363.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी है। शेष 5,224 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर सेफ्टी क्षेत्र 2,225 वर्गमीटर 1.10 मीटर की मोटाई में फैलाकर वृक्षारोपण किया गया है। अतः ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना की आवश्यकता नहीं है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया है।

6. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के पत्र क्रमांक 1003, दिनांक 09/09/2025 द्वारा माईनिंग एवं क्रशिंग ऑफ स्टोन, क्षमता – 41,729 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 31/03/2027 तक है।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी एवं लीज क्षेत्र के बाहर कोई उत्खनन किया गया है अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर को एवं पत्र क्रमांक 555/एस.ई.ए.सी.–3 छ.ग./कांकेर/2631 दिनांक 22/05/2025 के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से निरीक्षण प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी उत्खनन पाया गया है, जिसके संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल तथा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा जो भी निर्णय लेगी, मुझे मान्य होगा।

9. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

10. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 935/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–खैरखेड़ा) का क्षेत्रफल 2.10 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–खैरखेड़ा) को मिलाकर क्षेत्रफल 4.10 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने तथा खदान का उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व निष्पादित होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डिस्ट्रीक सर्वे रिपोर्ट (DSR), 2025 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पत्र क्रमांक 2646/खनि. 02/पर्या.स.–II/न.क्र. 08/2016 नवा रायपुर दिनांक 13/11/2025 के माध्यम से निम्नानुसार लेख किया गया है:–

"उल्लेखनीय होगा कि रि–अप्रेजल के अधिकतर प्रकरण में उत्खनिपट्टा तात्कालिन छ.ग. गौण खनिज नियम 1936 के तहत स्वीकृत किये गये है जिसमें उत्खनन योजना एवं खदान क्षेत्र के भीतर 7.5 मीटर की शेफ्टी जोन छाड़े जाने का प्रावधान नहीं था जिसके फलस्वरुप पट्टेदारों के द्वारा खदान क्षेत्र की सीमा तक खनन कार्य किया गया है। उक्त सभी खदानों का छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–38(क) के तहत मूल उत्खनिपट्टा अवधि से 30 वर्ष हेतु अवधि विस्तार किये गये है, जो कि वर्तमान में भी संचालित है।

गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधनों के उपरांत उत्खनिपट्टों हेतु उत्खनन योजना तैयार किया गया तथा उसके पश्चात् स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में 7.5 मीटर सेफ्टी जोन छोड़ने के प्रावधान किये गये हैं। अतः 2015 के पूर्व स्वीकृत खदानों में उक्त नियम के बंधनकारी नहीं होने के फलस्वरुप उक्त प्रकरणों में उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। गौण खनिज नियम, 2015 के तहत स्वीकृत – उत्खनिपट्टों में खदान क्षेत्र की सीमा से 7.5 मीटर के भीतर खनन पाये जाने पर ऐसे प्रकरणों में अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर जिला अधिकारियों के द्वारा नियमनानुसार कार्यवाही की जा रही है।

स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर पुराने उत्खनन के गढ्ढे अथवा तालाब होने की स्थिति में समिति द्वारा इन्हे आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना मानकर प्रकरण परीक्षण हेतु लिजा कार्यालय को प्रषित किया जा रहा है। तत्संबंध में लेख है कि प्रायः गौण खनिज उत्खनन पट्टा पूर्व स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास ही स्वीकृत किया जाता है जिससे आवेदित क्षेत्र के आसपास पुराने स्वीकृत खदानों से निर्मित गढ्ढे का होना स्वाभाविक है। पुराने उत्खनन से निर्मित गढ्ढों को वर्तमान पट्टाधारी आवेदकों द्वारा किया गया अवैध उत्खनन माना जाना उचित नहीं है। लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन के प्रकरणों में विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाती है। तथापि प्रत्येक 6 माह में खनि निरीक्षक द्वारा भी कर निर्धारण के समय मौका जांच पर पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–71 के हत कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रकिया है जिस पर खनिज विभाग द्वारा गंभीरता से लगातार कार्यवाही की जाती है।

उक्त कारणों से रि–अप्रेजल के प्रकरण विगत 02 वर्षो से अधिक समय से लंबित होने के कारण प्रदेश में अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक गौण खनिजों की आपुर्ति प्रभावित हो रही है वही राज्य को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस प्रकार के लंबित रि–अप्रेजल प्रकरण/पर्यावरण सम्मति हेतु प्रस्तुत नवीन प्रकरणों में पर्यावरण के बिंदुओं पर कम्प्लायंस कराते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु उचित निर्णय लिया जावे।"

उक्त खदान का उत्खनिपट्टा दिनांक 01/04/1997 से 31/03/2027 तक हेतु निष्पादित किया गया है। अतः उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व का है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी उत्खनन पाया गया है, जिसके संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल तथा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा जो भी निर्णय लेगी, मुझे मान्य होगा।

4. मेसर्स यश बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.–श्री यश बाफना) को ग्राम–खैरखेड़ा, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के खसरा क्रमांक 362 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.10 हेक्टेयर, क्षमता – 41,691 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
श्री जयसिंह म्हस्के, अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री समीर स्वरूप, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री राजु अगासीमनी, सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	

परिशिष्ट–01

मेसर्स मीता बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.– श्रीमती मीता बाफना) को खसरा क्रमांक 38, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर, ग्राम–कोटेला, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 39,702 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खनिज विभाग, सी.ई.सी.बी. अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा एस.ई.आई.ए.ए. /एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को यह सूचित किया जाता है कि जारी पर्यावरण स्वीकृति की निर्धारित शर्तों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, तो पर्यावरण स्वीकृति को निलंबित अथवा निरस्त किए जाने सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित विभागों द्वारा अधिरोपित दंड अथवा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा की जाएगी।
2. पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की निगरानी सी.ई.सी.बी. द्वारा प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के संतोषजनक अनुपालन के उपरांत ही सम्मति (consent) के नवीनीकरण पर विचार किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLP Act) के नवीनतम संशोधनों के अनुसार (यदि लागू हो) अनुसूची–1 प्रजातियों हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) से अनुमोदन प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक निर्धारित PCCF (WL) खाते में आवश्यक राशि जमा कर पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर इसकी सूचना एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करेगा।
4. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 39,702 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
5. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
7. **लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी उत्खनित पाये जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये 06 माह के भीतर एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी.–3 को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

8. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।

9. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

10. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

12. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

13. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

14. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

15. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

16. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट

मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

18. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

19. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

20. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

21. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

22. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

24. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

25. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

40	2%	0.8	Following activities at Near by Govt. Primary School, **Village-Kotela**	
			Plantation	1.346
			Total	**1.346**

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, कदम, पीपल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

28. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

29. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

30. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,170 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। **उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

31. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

32. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

33. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

36. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू–जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।

37. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

39. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

40. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

41. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

42. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी

भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

45. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

46. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

47. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

48. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

49. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

50. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

51. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

52. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.–3

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.–3

परिशिष्ट–02

मेसर्स यश बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.–श्री यश बाफना) को खसरा क्रमांक 362, कुल लीज क्षेत्र 2.10 हेक्टेयर, ग्राम–खैरखेड़ा, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 41,691 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खनिज विभाग, सी.ई.सी.बी. अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा एस.ई.आई.ए.ए. /एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को यह सूचित किया जाता है कि जारी पर्यावरण स्वीकृति की निर्धारित शर्तों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, तो पर्यावरण स्वीकृति को निलंबित अथवा निरस्त किए जाने सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित विभागों द्वारा अधिरोपित दंड अथवा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा की जाएगी।
2. पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की निगरानी सी.ई.सी.बी. द्वारा प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के संतोषजनक अनुपालन के उपरांत ही सम्मति (consent) के नवीनीकरण पर विचार किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLP Act) के नवीनतम संशोधनों के अनुसार (यदि लागू हो) अनुसूची–1 प्रजातियों हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) से अनुमोदन प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक निर्धारित PCCF (WL) खाते में आवश्यक राशि जमा कर पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर इसकी सूचना एस.ई.आई.ए.ए. /एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करेगा।
4. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.10 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 41,691 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
5. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
7. **लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी उत्खनित पाये जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये 06 माह के भीतर एस.ई.आई.ए.ए. /एस.ई.ए.सी.–3 को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

E:\SEIAA_SEAC_January 2025 to January 2028\SEAC\SEAC-3\Final Minutes\Parivesh 1.0\SEAC-3 Supplementary Minutes of 750th meeting on dated 17.02.2026_Parivesh 1.0.docx

8. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।

9. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

10. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

12. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

13. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

14. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

15. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

16. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट

मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

18. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

19. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

20. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

21. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

22. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

24. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

25. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

42.5	2%	0.85	Following activities at Near by Govt. Primary School, **Village-khairkheda**	
			Plantation	1.346
			Total	**1.346**

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, कदम, पीपल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

28. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

29. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

30. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,050 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। **उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

31. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

32. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

33. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

36. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू–जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।

37. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

39. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

40. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

41. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

42. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी

भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

45. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

46. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

47. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

48. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

49. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

50. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

51. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

52. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.–3

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.–3